अध्याय-1

परिचय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अध्याय-1

परिचय

1.1 गंगा: पवित्र नदी

भारत के लोगों की सामूहिक चेतना में गंगा नदी का एक विशेष स्थान है। इसने अनादि काल से लाखों लोगों को भौतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवलंब प्रदान किया है। गंगा नदी उत्तराखण्ड के गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में उद्भूत होती है और देवप्रयाग में अपनी सहायक नदी अलकनंदा में मिलकर गंगा बन जाती है। उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश धार्मिक और पर्यटन स्थल गंगा या उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती हैं (**चित्र-1.1**)। उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र के 16 मुख्य नगर अर्थात गंगा के तटवर्ती नगर[1] गंगा या उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित हैं। यद्यपि यह 2,525 किलोमीटर के अपने मार्ग में से उत्तराखण्ड में गोमुख से हरिद्वार तक मात्र 294 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इन नगरों से निकलने वाला नगरपालिका का सीवेज और ठोस अपशिष्ट गंगा के उद्गम स्थल पर ही उसकी पवित्रता के लिए संकट उत्पन्न करता है। उत्तराखण्ड में गंगा नदी की पवित्रता के संरक्षण के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

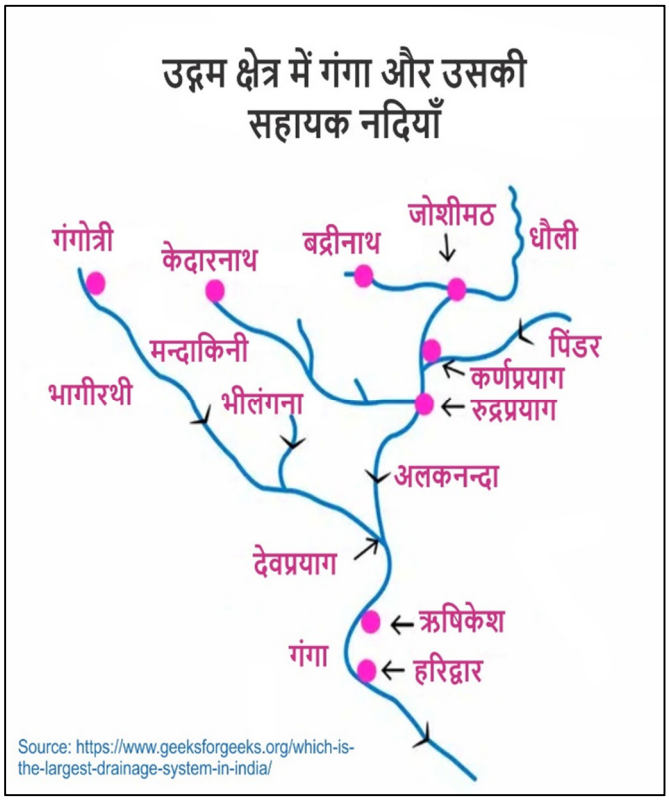

चित्र-1.1: गंगा और उसकी सहायक नदियाँ

[1] भागीरथी के तट पर स्थित गंगोत्री और उत्तरकाशी; अलकनंदा के तट पर स्थित कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली-गोपेश्वर, जोशीमठ एवं बद्रीनाथ; गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती, तपोवन एवं देवप्रयाग।

1.2 गंगा की पवित्रता के लिए खतरा

तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवन स्तर में वृद्धि और औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के तीव्र विकास ने सामान्य रूप से जल संसाधनों और विशेष रूप से नदियों को विभिन्न प्रकार के क्षरण के प्रति उजागर किया है। महान गंगा कोई अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन एम सी जी), जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित एक सोसायटी है एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ने गंगा के जल के प्रमुख प्रदूषकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात्: i) **बिंदु स्रोत** - ये प्रदूषण के संगठित स्रोत हैं जहां प्रदूषण भार को मापा जा सकता है, जैसे कि नगरपालिका सीवेज या औद्योगिक अपशिष्टों को ले जाने वाली सतही नालियां, सीवेज पम्पिंग स्टेशन तथा सीवरेज तंत्र, उद्योगों से निकलने वाले व्यापारिक अपशिष्ट, इत्यादि ii) **गैर-बिन्दु स्रोत** - ये प्रदूषण के गैर-मापनीय स्रोत हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्रों से रसायनों और उर्वरकों को ले जाने वाला अपवाह, ठोस अपशिष्ट डंप और खुले में शौच के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों से अपवाह, बिना जले हुए/अधजले मृत शरीरों और पशुओं के मृत शरीरों को फेंकना, धोबी घाट, मवेशियो का पानी में लोटना आदि।

1.3 गंगा नदी का संरक्षण: प्रारंभिक पहल

गंगा की पवित्रता के संरक्षण के लिए सरकार का हस्तक्षेप चार दशक पुराना है। गंगा नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 1985 में गंगा कार्य योजना (जी ए पी) चरण-I शुरू किया जिसका उद्देश्य तीन राज्यों: उत्तर प्रदेश (तब उत्तराखण्ड सहित), बिहार और पश्चिम बंगाल में 25 श्रेणी-I नगरों[2] (1,00,000 से अधिक आबादी वाले नगर) में उत्पन्न अपशिष्ट जल को रोकना, उसका मार्ग परिवर्तित करना एवं उसका शोधन करना था। जी ए पी चरण-II की शुरूवात 1993 में की गई थी और बाद में इसमें इसकी कुछ सहायक नदियों (यमुना, दामोदर और गोमती, आदि) को भी शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। जी ए पी की मुख्य योजनाएं इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन और सीवेज शोधन संयत्रों (एस टी पी) से संबंधित थी जिन्हें बिंदु[3] स्रोतों से प्रदूषण से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। गैर-प्रमुख

[2] उत्तर प्रदेश में छः, बिहार में चार और पश्चिम बंगाल में 15 हैं।

[3] प्रदूषण के संगठित स्रोत, जहाँ प्रदूषण भार को मापा जा सकता है, जैसे नगरपालिका सीवेज अथवा औद्योगिक अपशिष्ट ले जाने वाले सतही नाले, सीवेज पम्पिंग स्टेशन और सीवरेज प्रणाली, उद्योगों से निकलने वाले व्यापारिक अपशिष्ट आदि।

योजनाओं में कम लागत की स्वच्छता योजनाएँ, नदी तट का विकास, श्मशान आदि शामिल थे, जिनका उद्देश्य गैर-बिंदु स्रोतों[4] से होने वाले अप्रत्याशित और गैर-मापनीय प्रदूषण से निपटना था, जैसे ठोस अपशिष्ट का फेंका जाना, खुले में शौच करना, अधजले/ बिना जले मृत शरीरों का नदी में प्रवाहित किया जाना आदि। जी ए पी-I (31 मार्च 2000 तक) और जी ए पी-II (31 मार्च 2014 तक) में प्राप्त की गई उपलब्धियाँ **तालिका-1.1** में निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.1: जी ए पी-I और जी ए पी-II में प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण

कार्यक्रम	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त निधियाँ (₹ करोड़ में)	राज्यों द्वारा किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
जी ए पी-I	261	260	451.70	433.30
जी ए पी-II	314	264	522.10	505.31

जी ए पी का प्राथमिक ध्यान शहरी अपशिष्ट जल पर था, और यह आयोजन और कार्यान्वयन की विभिन्न कमियों से ग्रस्त था, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि एवं म लेप) के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाश में लाया गया था, जिसका विवरण निम्न **तालिका-1.2** में दिया गया है:

तालिका-1.2: नि एवं म लेप के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष
गंगा कार्य योजना की समीक्षा (2000 की प्रतिवेदन संख्या 5ए, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक विभाग)	1993-2000	सीवेज शोधन के प्राथमिक लक्ष्य की अल्प उपलब्धि (39 *प्रतिशत*), सीवेज शोधन परिसंपत्तियों के सृजन में कमी/विलंब, सीवेज विशेषताओं के निर्धारण में एकरूपता न होना, स्वीकृत कार्यों में लागत वृद्धि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी पी आर) में दोषपूर्ण डिजाइन, आवश्यक प्रारम्भिक कार्यों की कमी, निम्न अनुबंध प्रबंधन, महंगे उपकरणों का बेकार होना और सामान्य रूप से निम्न अनुरक्षण है।
'गंगा नदी का जीर्णोद्धार' की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा (2017 की प्रतिवेदन संख्या 39, केंद्र सरकार- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)	2014-17	नदी बेसिन प्रबंधन योजना की कमी, डी पी आर के अनुमोदन में विलंब, नदी संरक्षण क्षेत्रों की पहचान न करना, परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब, ग्रामीण स्वच्छता निधियों का निम्न उपयोग, जनशक्ति की कमी और परियोजनाओं का निम्न अनुश्रवण।

[4] गैर-मापनीय योग्य प्रदूषण स्रोत जैसे कृषि क्षेत्रों से रसायनों और उर्वरकों को ले जाने वाला अपवाह, ठोस अपशिष्ट डंपिंग स्थलों और खुले में शौच के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से अपवाह, बिना जले/अधजले मृत शरीरों एवं पशुओं के शवों को फेंकना, धोबी घाट, मवेशियों का पानी में लोटना आदि।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष
'गंगा नदी का जीर्णोद्धार' की निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 की प्रतिवेदन संख्या 1, उत्तराखण्ड सरकार-पेयजल विभाग)	2013-17	एन एम सी जी द्वारा पूर्ण योजना आकार को मंजूरी न दिया जाना (गंगा के लिए वानिकी गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना जो डी पी आर में वर्ष 2016-17 के लिए नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 *प्रतिशत* थी, को स्वीकृति दी गई), धनराशि अव्ययित रहना, ढलानों पर नगरपालिका का कचरा फेंका जाना, एस टी पी का कम उपयोग, नालों का अप्रयुक्त रहना, सीवेज के लिए पर्याप्त क्षमता की कमी और पर्याप्त संख्या में जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना नहीं होना।

जून 2014 में, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक की अवधि के शोधन लिए ₹ 20,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया।

1.4 गंगा के संरक्षण के लिए वर्तमान प्रयास: नमामि गंगे

नमामि गंगे एक समग्र कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूर्व एवं वर्तमान में चल रहे प्रयासों को एकीकृत करना है। नमामि गंगे के अन्तर्गत संचालित प्रमुख गतिविधियों में मौजूदा एस टी पी का पुनर्वास, नवीन एस टी पी का निर्माण, घाटों और शवदाहगृहों का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वन-रोपण और जैव विविधता संरक्षण आदि हैं। वर्ष 2014-23 के दौरान, एन एम सी जी द्वारा गंगा जीर्णोद्धार से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल ₹ 14,260 करोड़ राज्य सरकारों (जिसमें से ₹ 1,149 करोड़ उत्तराखण्ड को जारी किए गए थे), स्वच्छ गंगा के लिए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस एम सी जी) और अन्य अभिकरणों को जारी किए गए हैं।

कार्यक्रम की आवश्यकता और विस्तार को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2026 तक ₹ 22,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन-II को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाओं की देयताएँ (₹ 11,225 करोड़) और नवीन परियोजनाओं/ गतिविधियाँ (₹ 11,275 करोड़) सम्मिलित हैं।

1.5 नमामि गंगे का राज्य स्तरीय प्रशासनिक ढांचा

गंगा सफाई गतिविधियों के शासकीय प्रबंधन के लिए वर्तमान संरचनाएं गंगा नदी (जीर्णोद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा स्थापित की गई हैं। गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन ढांचे में सात हितधारक शामिल हैं, जिन्हें नीचे **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: नमामि गंगे कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन की रूपरेखा

हितधारक	मुख्य उत्तरदायित्व	किसको प्रतिवेदित करता है
एस एम सी जी के माध्यम से राज्य गंगा समिति	सीवरेज अवसंरचना में वृद्धि, कैचमेंट क्षेत्र शोधन, राज्य स्तर पर जन जागरूकता पैदा करना, गंगा नदी की जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्य से गतिविधियों का विनियमन और नदी बेसिन प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन सहित गंगा नदी से संबंधित संरक्षण गतिविधियों का समन्वय और कार्यान्वयन। राज्य गंगा समिति अपने कार्यकारी शाखा एस एम सी जी के माध्यम से कार्य करती है।	एन एम सी जी
जिला गंगा समितियां	गंगा नदी से सटे विनिर्दिष्ट जिले के क्षेत्र में खतरे वाली गतिविधियों की पहचान करना और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए योजना बनाना तथा उसके संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करना।	राज्य गंगा समिति
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू के पी सी बी)	यू के पी सी बी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है। यह गंगा नदी की जल गुणवत्ता और नमामि गंगे के अन्तर्गत निर्मित एस टी पी से छोड़े जा रहे अपशिष्टों की गुणवत्ता की निगरानी करता है।	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहरी स्थानीय निकाय	अपने अधिकार क्षेत्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से प्रदूषण को रोकने एवं शवों के सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी।	राज्य सरकार
ग्राम पंचायतें	अपने अधिकार क्षेत्र में गंगा नदी और/या इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी।	
कार्यान्वयन अभिकरण	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (उत्तराखण्ड पेयजल निगम के नाम से लोकप्रिय) महाप्रबंधक-गंगा के रूप में मनोनीत एक अधीक्षण अभियंता के अन्तर्गत कार्य कर रहे अपने पांच समर्पित फील्ड प्रभागों के माध्यम से गंगा के तटवर्ती नगरों में सीवरेज अवसंरचना के निर्माण के लिए एकमात्र कार्यान्वयन अभिकरण है। सिंचाई विभाग स्नान घाटों और श्मशान घाटों के निर्माण के लिए एक कार्यान्वयन अभिकरण है। वन विभाग वानिकी से संबंधित गतिविधियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।	एस एम सी जी और राज्य सरकार
अनुरक्षण अभिकरण	उत्तराखण्ड जल संस्थान सीवरेज अवसंरचना के लिए और वन विभाग वानिकी संबंधी गतिविधियों के लिए एकमात्र अनुरक्षण अभिकरण है। स्नान घाटों और श्मशान घाटों का अनुरक्षण संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।	एस एम सी जी और राज्य सरकार

1.6 लेखापरीक्षा ने विषय को फिर से क्यों चुना?

पिछले चार दशकों में, विभिन्न सरकारों ने गंगा को स्वच्छ करने के लिए कई प्रयास किए हैं, कभी-कभी तो न्यायिक हस्तक्षेप के अन्तर्गत भी। तथापि, प्रदूषण की समस्या

अभी भी बनी हुई है। 2017-18 में हमारे द्वारा की गई विगत निष्पादन लेखापरीक्षा के बाद से, लेखापरीक्षा में कार्यक्रम गतिविधियों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) में कमियाँ पाई गई हैं। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार अशोधित सीवेज को गंगा में गिरने से रोकने के मुख्य लक्ष्य से चूक गई। इसके अतिरिक्त, नगर निकाय अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, एस टी पी की क्षमता उन्नयन और गंगा के तटवर्ती नगरों में सभी चिन्हित नालों की टैपिंग, आदि जैसी मुख्य लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था। अब भी, ऐसे एस टी पी थे जो किसी भी घर से जुड़े नहीं थे। एस टी पी में ओ एवं एम से संबंधित विभिन्न समस्याएं थी। योजनागत एस टी पी के चालू होने के तुरंत बाद नए एस टी पी प्रस्तावित किए गए थे। विभिन्न कमियों के कारण 44 पूर्ण एस टी पी में से 18 को अनुरक्षण अभिकरणों को नहीं सौंपा जा सका। गंगा नदी के लिए वानिकी हस्तक्षेप (पौधरोपण) से संबंधित एकल परियोजना ने बहुत कम वास्तविक लक्ष्य (16 *प्रतिशत*) प्राप्त किया गया। यू के पी सी बी की जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला के पास अभी भी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता नहीं है। उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए इस विषय का चयन किया।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा जांच करना चाहती है कि:

- क्या गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए नमामि गंगे की अवसंरचना को पर्याप्त रूप से योजनाबद्ध किया गया था एवं यह दक्षतापूर्वक निष्पादन कर रही थी;
- क्या परियोजनाओं को आर्थिक, दक्ष और प्रभावी तरीके से लागू किया गया था;
- क्या निधियों का अनुमान, उपलब्धता और उपयोग पर्याप्त और विश्वसनीय था; एवं
- क्या नमामि गंगे के अन्तर्गत परियोजनाओं के परिणामों की प्राप्ति के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था।

1.8 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना

जुलाई-दिसंबर 2023 के दौरान 2018-2019 से 2022-23 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी। लेखापरीक्षा विषय-क्षेत्र में उत्तराखण्ड में गंगा नदी से संबंधित कुल 42 परियोजनाएं (सीवेज प्रबंधन की 25, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और घाटों की सफाई की 15, वन-रोपण की एक एवं औद्योगिक प्रदूषण से

निपटने के लिए एक) शामिल थी, जो गंगा के तटवर्ती नगरों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूरी हो गई थी, चल रही थी या निविदा चरण में थी। लेखापरीक्षा में 42 परियोजनाओं में से 23 की विस्तार से जांच की गई (प्रत्येक श्रेणी से 50 *प्रतिशत* परियोजनाएं, जो इस शर्त के अधीन थी कि प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक परियोजना का चयन किया गया था)। लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की यादृच्छिक संख्या तालिका का उपयोग करते हुए प्रतिस्थापन के साथ आकार के प्रति अनुपातिक संभाव्यता विधि द्वारा 2018-23 के दौरान किए गए व्यय को आकार माप के रूप में लेते हुए परियोजनाओं का चयन किया था। इसके अतिरिक्त, चयनित कार्यान्वयन अभिकरणों में पहले से पूर्ण हो चुकी परिसंपत्तियों के ओ एवं एम का भी मूल्यांकन किया गया था। 23 चयनित परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा एस एम सी जी, कार्यान्वयन अभिकरणों (उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, वन विभाग और शहरी स्थानीय निकायों आदि) एवं अनुरक्षण अभिकरणों (उत्तराखण्ड जल संस्थान और वन विभाग, आदि) के अभिलेखों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा पद्धति में मुख्यत: दस्तावेज विश्लेषण, प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर, विभिन्न स्तरों पर प्रतिवेदनों और अभिलेखों की जांच और चयनित मामलों में परियोजना स्थलों के क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। प्रवेश गोष्ठी (4 अगस्त 2023) में सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने, बहिर्गमन गोष्ठी, जो 21 मई 2024 को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, एस एम सी जी एवं पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी थी, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी, से पहले, मसौदा प्रतिवेदन पर 18 मई 2024 को, अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया। सरकार/विभाग के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- गंगा नदी (जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016;
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;
- सीवरेज और सीवेज उपचार प्रणालियों पर मैनुअल, 2013;

- एन जी टी/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सुसंगत आदेश; एवं
- सामान्य वित्तीय नियम एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2017

1.10 आभार

लेखापरीक्षा, एस एम सी जी, जिला गंगा समितियों, शहरी स्थानीय निकायों, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण अभिकरणों (उत्तराखण्ड जल निगम, सिंचाई विभाग और उत्तराखण्ड जल संस्थान) द्वारा लेखापरीक्षा दौरान दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।